न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**
प्रकरण सख्या:—71/2010 दायर दिनांक:—30.06.2010

जीरीएमएस नं. 2010/00162

1. योगेन्द्र आयु 35 साल
2. सुनील आयु 32 साल
3. संतोष आयु 28 साल

पिसरान रामरतन जाति—ब्राह्मण निवासी—सोनपाल का पुरा धंधावली तहसील—हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

——————वादीगण—03

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र रामफूल आयु 62 साल, जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

—————प्रतिवादी

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:— 1. श्री अशोक नीमनका वकील वादीगण
2. श्री पी एल गोयल वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 22-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिए वकील खिलाफ प्रतिवादी दावा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 988 रकवा 60 ऐयर स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

बाका दिनांक 28.06.2010 को सुबह करीब 9 बजे की बात है कि प्रतिवादी वादीगण की दक्षिणी व पूर्वी डोल के सहारे अपनी खातेदारी के खेत में कुछ निर्माण कार्य कर रहे है कि वादीगण ने अपने खेत की डोल को जाकर देखा तो प्रतिवादी ने वादीगण की डोल खसरा 988 के दक्षिणी व पूर्वी तरफ वादीगण की खातेदारी की आराजी [illegible] प्रयास किया। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी को समझाईश का प्रयास किया कि वह वादीगण की डोल को जोडकर निर्माण कार्य नहीं करें। तो प्रतिवादी ने यह खुले आम धमकी दी कि मैं तुम्हारी डोल को तोडकर पक्का निर्माण कार्य करके रहूंगा। यदि प्रतिवादी इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested

कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। इसलिये दावा दायर करना आवश्यक है।

दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को इस प्रकार जरिये स्थायी निषधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 988 रकवा 60 ऐयर स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करें। वादीगण की डोल को नहीं तोडे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक वादीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से श्री पी एल गोयल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी वकील द्वारा जबाब पेश किया जिसमें दावा खारिज करने का निवेदन किया।

वादी ने अपने दावा को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2063–66 खाता संख्या 261, नक्शा ट्रैस पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वादी वकील ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि उक्त विवादित खसरा नम्बर 988 रकवा 60 ऐयर स्थित ग्राम धंधावली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करें। वादीगण की डोल को नहीं तोडे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे। ना ही किसी अन्य से करावे। जिससे हकूक वादीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रतिवादी वकील ने दावा मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत जमाबंदी संवत 2063–66 खाता संख्या 261 के ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवेचन के अनुसार विवादित आराजीयात में वादी को बेदखल नहीं करने तथा वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने। वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested

का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वादी ने विवादित आराजीयात के संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वाद पत्र को साबित करने असफल रहा है। दावा खिलाफ प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22-11-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:47 IST
Reason: SelfAttested